

राजस्थान सरकार
गृह (गुप-10) विभाग

क्रमांक : प.3(1) गृह-10/2022

जयपुर, दिनांक 01.12.2025

आज्ञा

राजस्थान अभियोजन सेवा नियम 1978 के नियम 9 के अन्तर्गत वर्ष 2025-26 की रिक्तियों के लिए पदोन्नति देने हेतु गठित विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंषा पर राज्यपाल महोदय द्वारा निम्न संयुक्त निदेशक अभियोजनगण को अतिरिक्त निदेशक अभियोजन के अस्थाई पद पर वेतन श्रृंखला (37400-67000) ग्रेड पे-(22) 8700/- **Pay Matrix L-21 in Revised Pay Rules 2017** में पदोन्नत कर नियुक्त किया जाता है।

क्र.सं.	नाम अधिकारी	विशेष विवरण	रिक्ति की दिनांक
1.	श्री जोराराम पुत्र श्री पेमाराम	अनारक्षित	01-04-2025
2.	श्री कमल कुमार शर्मा पुत्र श्री सुरेश चन्द	अनारक्षित	01-08-2025

उक्त पदोन्नत अधिकारीगण अपने वर्तमान पदस्थापन पर ही कार्यभार ग्रहण करें।

आज्ञा से

(रवि शर्मा)

शासन सचिव, गृह (विधि)
राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. सचिव, राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, जयपुर।
3. अतिरिक्त मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह।
5. निदेशक अभियोजन, राजस्थान, जयपुर को 20 अतिरिक्त प्रतियों सहित।
6. संबंधित अधिकारीगण।
7. समस्त अतिरिक्त/उप/सहायक निदेशक अभियोजन, राजस्थान।
8. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली

शासन सचिव, गृह (विधि)
राजस्थान, जयपुर